नमाज़ मे आमीन कहना

0

बिस्मिल्लहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहांनो का पालनहार है। हम उसी का शुक्र अदा करते और उसी से मदद मांगते है। अल्लाह की बेशुमार सलामती, रहमतें और बरकतें, नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर। व बअद्

जहरी (फ़ज्र, मग़रिब, व इशा,) नमाजो़ मे सूरह फ़ातेहा के ख़ात्मे पर इमाम और मुक्तदीयों का बुलन्द आवाज़ से 'आमीन' कहना भी एक ऐसा मसला है जिस पर बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने वालों और न कहने वालों ने हजा़रों सफ़हात काले कर डाले है। जो हज़रात बुलन्द आवाज़ से आमीन नही कहते उन्होने कितनी ही मसाजिद से आमीन बिल जहर कहने वालों को बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने के जुर्म मे बाहर निकाला है। जिसकी वजह से कुछ जगहों पर फ़सादात तक नौबत पहुचीं । मामलात कौर्ट तक गए और कुछ इलाको़ मे तो सिर्फ़ इसी एक मसअले की वजह से बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने वालों को अपनी अलग मस्जिद बनाना पड़ी। 'आमीन' जिसके मआनी है ''ऐ अल्लाह ! जो दुआएं हमने तुझसे की है, तू उन्हे कुबुल फ़रमा।'' अहादीसे रसूल सल्ल. की रोशनी मे बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना कोई बुरी या ग़लत बात न थी। मगर अफ़सोस ! कुछ बुरे उलैमा ने इसे राई से पहाड़ बना दिया। नतीजा यह निकला कि इसकी वजह से कई इलाको़ मे मुसलमानों मैं सर फुटव्वल हुई, नफ़रतों ने जन्म लिया और आपस मे दूरियां बढ़ी। इससे पहले कि इस बारे मे हम अहादीस का मुतालेआ करें। यह जान ले कि इमाम बुख़ारी रह. ने अपनी सही बुख़ारी मे (जहरी नमाजों मे) ''इमाम का बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना'' बाब बांध कर अहादीस नक़ल करने से पहले लिखा कि ''अता बिन अबि

रबाह रह. ने कहा कि आमीन एक दुआ है और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि. और वो लोग जो आपके पीछे (नमाज़ पढ़ते) थे। इस ज़ोर से आमीन कहते कि मस्जिद गूंज जाती। अबु हुरेरा रज़ि. इमाम से कह दिया करते थे कि आमीन से हमे मेहरूम न रखना। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. के गुलाम व शागिर्द नाफ़ेअ रह. ने कहा कि इब्ने उमर रज़ि. आमीन कभी नही छोड़ते थे। बल्कि लोगों को इसकी तरग़ीब भी दिया करते थे। (बाब–111 जिल्द 1, सफ़ा–710)

अहादीस आमीन बिल जहर

(1) अबु हुरेरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। क्यों कि फ़रिश्ते भी आमीन कहते है तो जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल गई। उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाऐंगे। (इब्ने माजा–851, बुख़ारी–781,782,मुस्लिम–912, अबु दाऊद–935, नसाई–929, 933, और मौत्ता मालिक–191, दारमी–1285)

(2) अबु हुरेरा रज़ि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''जब क़िराअत करने वाला (इमाम) आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुताबिक़ हो गई। उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे।''(इब्ने माजा–852, बुख़ारी–780, मुस्लिम–915, 920, अबु दाऊद–936, नसाई–928, तिर्मिज़ी–217, दारमी–1286, मौत्ता मालिक–189,) इन दो अहादीस से मालूम हुआ कि मुक़्तदी को उस वक्त आमीन कहना चाहिये जब इमाम आमीन कहे। इन रिवायात से इमाम का भी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना साबित हुआ। तभी तो मुक़्तदी उसकी आवाज़ सुनकर आमीन कहेगे। नमाज़ी की आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाने की तश्रीह उलैमा ने इस तरह की है (1) वक़्त मे मुवाफ़िक़त यानि फ़रिश्तों के आमीन कहने के वक़्त नमाज़ी भी आमीन कहें (2) खुलूस मे मुवाफ़िक़त–चूंकि फ़रिश्तों का हर अमल इख़्लास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है तो अगर नमाज़ी भी उसी तरह इख़्लास के साथ

आमीन कहे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगें। (3) खुशुअ मे मुवाफ़िक़त –आमीन दुआ है और दुआ मे खुशुअ कुबुलियत का सबब होता है। चूंकि फ़रिश्तों के अमल मे खुशूअ पाया जाता है तो मोमिन को भी दुआ मे खुशूअ, अदब, व एहतराम का पास रखना चाहियें।

(3) अली रज़ि. से रिवायत है कि मैने अल्लाह के रसूल सल्ल. से सुना। ''जब आप सल्ल. ने 'वलद दवॉलीन' कहा तो फ़रमाया 'आमीन' ।''(इब्ने माजा–854 सही)

(4) वाइल बिन हुजर रज़ि. का बयान है कि ''मैने नबी सल्ल. की इक्तेदा (इमामत) मे नमाज़ पढ़ी। जब नबी सल्ल. ने '' वलद दवॉलीन '' कहा तो ऊंची आवाज़ से फ़रमाया 'आमीन' हम सब ने आपकी आमीन सुनी। '' (इब्ने माजा –855, अबु दाऊद –932 तिर्मिज़ी–216 सही)

(5) अबु हुरेरा रज़ि. का बयान है कि ''जब अल्लाह के रसूल सल्ल. उम्मुल कुरआन (सूरह फ़ातेहा) की क़िराअत से .फ़ारिग़ होते तो बुलन्द आवाज़ के साथ आमीन कहते।'' (इब्ने हुब्बान–1806 और दारकुत्नी– जिल्द1 सफ़ा–335 और सिलसिला अहादीस सहीहा–672)

(6) आएशा रज़ि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''यहूदी तुम से किसी चीज़ पर इतना हसद नही करते जितना सलाम करने और और (इमाम के पीछे) आमीन कहने पर तुमसे हसद करते है।'' (इब्ने माजा–856 और बुख़ारी–अदब अल मुफ़रद–988–सही)

आमीन दिल मे कहने के दलाइल और उनका जवाब

जो हज़रात जहरी नमाज़ो मे आमीन दिल में कहते है यानि बुलन्द आवाज़ से नही कहते। उनका कहना है कि इमाम सुयुती रह. ने 'जमाअ अल जवामेअ' मे लिखा है कि इब्ने मसऊद रज़ि. ने फ़रमाया 'इमाम चार चीजो़ को दिल मे पढ़े (1) आऊज़ुबिल्लाह (2) बिस्मिल्लाह (3) सना (सुब्हानक अल्ला हुमा) (4) और आमीन।'' यह रिवायत इसलिए हुज्जत नही क्यों कि यह एक सहाबी रज़ि. का

कौ़ल है मरफूअ हदीस के मुका़बले मे दलील नही बन सकता। दूसरे यह कि इमाम सुयुती रह. की यह किताब चौथे दर्जे मे आती है। इस दर्जे की जो अच्छी हदीसें है वह अक्सर ज़ईफ़ है और जो बुरी है वोह मौज़ूअ यानि मन गढ़त है। जैसा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रह. ने 'हुज्जतुल लाहि बालिग़ा ' मे लिखा है । तीसरे यह कि इमाम सुयुती रह. ने यह रिवायत बिना सनद के नक़ल की है। इसकी सनद इब्राहीम नख़ई रह. तक ही पहुचती है इब्ने मसऊद रज़ि. तक नही और बिना सनद की रिवायत हमारे दीन मे दलील बनाने के लायक़ नही । जैसा कि मुस्लिम शरीफ़ के मुक़दमे मे है कि ''असनाद हमारे दीन मे शामिल है। अगर अहादीस की सनदें न होती तो जो शख़्स जो चाहता , कहता फ़िरता और उसकी बुराई पकड़ने के लिए हमारे पास कोई चीज़ न होती।'' ये हजरात हज़रत ''उमर रज़ि. और हज़रत अली रज़ि. के बारे मे भी कहते है कि वो भी बुलन्द आवाज़ से आमीन नही कहते थे।''(इब्ने जरीर और तहावी ओर इब्ने शाहीन) ने इसे रिवायत किया है। लेकिन इसकी सनद मे सईद बिन मरज़बान बका़ल है। जिसके बारे मे मीज़ानअल एतेदाल मे लिखा है कि इमाम फ़लास ने इसे तर्क कर दिया है और इब्ने मोईन कहते है कि इसकी हदीस लिखने के लायक़ नही । इमाम बुख़ारी रह.इसे मुन्कर अल हदीस कहते है और जिसे इमाम बुख़ारी रह. मुन्कर अल हदीस कहदे । उससे रिवायत लेना सही नही हे । इसके इलावा यह कि जिन किताबों मे यह रिवायत नक़ल हुई है उनके बारे मे शाहवली उल्लाह रह. हुज्जतुल लाहि बालिग़ा मे और शाह अब्दुल अज़ीज़ रह. ''इजालतुल नाफ़िआ'' मे लिखते है कि ''इन किताबों की रिवायतें बिना जांच पड़ताल के नही लेना चाहिये क्यों कि ये एहतियात नही करते। झूटी सच्ची, सही–ज़ईफ़ सब उन्होने ख़लत–मलत कर दी है।'' इन हज़रात की कुल जमा पूजीं बस यही है। दोनों तरफ़ के दलाइल हमारे सामने है । इसके बावजूद कोई अमल करने या छोड़ने से पहले यह कुछ बातें हमारे ध्यान मे रहे जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''जिसने मेरी सुन्नत पर अमल करने से मुंह मोड़ा वह हम मे से नही ।'' (मिश्कात–137,बुख़ारी और

मुस्लिम) इमाम नौवी रह. शरह सही मुस्लिम मे लिखते है ''जब किसी मुसलमान को कोई सही हदीस मिल जाए तो उस पर अमल करे। चाहे पूरी दुनिया उसके मुख़ालिफ़ हो और जो शख़्स लोगों के डर से या ख्वाहिशे नफ़्सानी से हदीसे रसूल सल्ल. पर अमल नही करेगा या करना छोड़ देगा तो ऐसे आदमी का मोमिन व मुसलमान होना भी मशकूक है।'' अल्लाह के रसूल सल्ल. ने यह भी फ़रमाया कि''तुममे से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नही हो सकता। जब तक अपनी ख़्वाहिशात को मेरी लाई हुई शरीअत के ताबेअ न कर दे।''(मिश्कात–159–शरह अल सुन्नः–सही) ध्यान रहे कि ऐसा शख़्स भी गुनाहगार ही होता है जो सुन्नते रसूल सल्ल. को सही समझ लेने के बाद कभी उस सुन्नत पर अमल करता है और कभी छोड़ देता है। यानि जहां उस सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हों, वहां अमल करे और जहां उसके मुख़ालिफ़ हो, वहां छोड़ दे। इसलिए कि इर्शादे बारी तआला है –'' जब अल्लाह और उसका रसूल (सल्ल.) किसी बात का फ़ैसला कर दे तो किसी मोमिन मर्द व औरत को यह इख़्तियार बाक़ी नही रहता कि उसमे नुक्ता चीनी करें और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. की ना फ़रमानी करेगा, वह खुली गुमराही मे है। (अहज़ाब–36) और यह कि '' जो शख़्स हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल (सल्ल.) की मुख़ालिफ़त करेगा और मोमिनीन (यानि सहाबा) का रास्ता छोड़ कर कोई और राह अपनाएगा। तो जिस तरफ़ वह फ़िरना चाहेगा हम उसी तरफ़ उस को फेर देगें। फ़िर जहन्नम मे दाखिल करेगें जो बुरा ठिकाना है।'' (निसा–आयत–115)

कुछ उलैमा अहनाफ़ के फ़तावे–

(1) इमाम इब्नुल हमाम रह. :– हनफ़ी मज़हब की मशहूर किताब शामी (रद्दुल मुख़्तार) की जिल्द 4 सफ़ा–388 पर लिखा है कि आप मुजतहिद थे। यह अपनी किताब 'फ़त्हुल क़दीर' मे लिखते है ''अगर फ़ैसला मेरे हाथ मे होता तो मैं यूं मुवाफ़िक़त करता कि आहिस्ता कहने की हदीस से यह मुराद है कि चिल्लाकर न कहे और जहर की हदीस से मुराद दर्मियानी आवाज़ है।'' (यानि न आहिस्ता

और न बहुत चिल्लाकर) (जिल्द1 सफ़ा–1 1 7)

(2) इमाम इब्ने अमीर अल हाज रह. '–यह इब्ने हमाम रह. के लायक़ शार्गिदों मे से है। यह अपने उस्ताद के फ़ैसले की ताईद करते हुए अपनी किताब 'हुलिया' मे लिखते है–''हमारे मशयख़ ने जिन दलीलों से अपने मज़हब को तरजीह दी है, वह ग़ल्तियों से खाली नही।' और मैं अपने उस्ताद इमाम इब्नुल हमाम के साथ हूं।

(3) शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रह.:–आप शाह वली उल्लाह रह. से पहले गुज़रे है। इन्होने हनफ़ी मज़हब छोड़ने का इरादा किया था लेकिन उस दौर के उलैमा ए मक्का ने मशवरा दिया कि जल्दी न करो । हनफ़ी मज़हब के दलाइल पर ग़ौर करो । चुनांचे इसके बाद उन्होने ''फ़त्ह सर अल मनान'' लिखी और उसमे हनफ़ी मज़हब की दलाइल को जमा किया। लेकिन मसअला आमीन के बारे मे वही बात लिखी जो इमाम इब्नुल हमाम ने कही थी और वही फ़ैसला दिया।

(4) अब्दुल हई लखनवी रह.:–आप लिखते है कि ''इन्साफ़ यह है कि दलील की रू से आमीन बिल जहर (यानि बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना) ज़्यादा सही है।''(तअलीक़अल ममजद–सफ़ा–1 0 5)

(5) मौलाना सिराज अहमद रह. :– यह '' शरह तिर्मिज़ी'' मे लिखते है ''बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने की अहादीस अक्सर है और ज़्यादा सही है

(6) अब्दुल अअला लखनवी रह.:– आप अरकाने इस्लाम 'नामी किताब मे लिखते है''आमीन आहिस्ता कहने के बारे मे कुछ साबित नही।''

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमे मज़हबी तअस्सुब से बचाए और सुन्नते रसूल सल्ल. पर अमल करने और उसी के मुताबिक नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे।

आमीन

आपका दीनी भाई

मुहम्मद सईद,

9214836639, 9887239649